श्यामलाल / रामेश्वर

160/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपिलान्ट अधिवक्ता उपस्थित ।	
	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई । पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे । चूँकि पत्रावली में प्रार्थना पत्र केवियट पेश हुआ है अतः केवियटकर्ता को जरिये रजिस्टर्ड एडी नोटिस तलब किया जावे । पत्रावली दिनांक 21-02-18 को पेश हो ।	रजि.नो. 1201 16/2/18
	पत्रावली प्रस्तुत हुयी। अधि. अपीलांट एवं कैवियट-कर्ता उपस्थित। कैवियटकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन, एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 पर जवाब पेश हेतु समय चाहा गया। पत्रावली वास्ते जवाब/बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 22.02.18 को पेश हो।	appeal copy received V. Dy Ad. 21-2-18 12:30 PM.
	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधि. अपीलांट एवम् कैवियटकर्ता/रेस्पो. उपस्थित। उभयपक्ष को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.02.18 को पेश हो।	
	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुयी। समयाभाव से आदेश नहीं लिखवाया जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27.02.18 को पेश हो।	
	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन प्रस्तुत हुई। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि उनके द्वारा ख.न. 51 हाल ख.न. 73 से 76 जिसका रकबा 0.40 हेक्टयर है एवं ख.नं. 11 जिसके नये नम्बर 23 रकबा 0.29 हेक्टयर है, का क्रय वादी/रेस्पोन्डेन्ट-2 से किया है एवं उक्त आराजी को जयपुर विकास प्राधिकरण को	Executed [illegible]

रूपान्तरित नकल ली गई है। अब उक्त
दोनो खसरा नम्बरान् की भूमि के सम्बन्ध
मे अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट का कोई सरोकार नही
होने पर भी अधिनस्थ न्यायालय से इन
खसरा नम्बरान् के सम्बन्ध मे अस्थाई
निषेधाज्ञा प्राप्त कर प्रार्थी/अपीलार्थी को
पाबन्द करवा दिया गया है, जिससे
प्रार्थी/अपीलार्थी को अपूर्तनीय क्षति
कारित हो रही है। अतः अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित आदेश की
क्रियान्विति स्थगित फरमाई जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस
ने बहस में निवेदन किया कि
आराजी ख.न. 11 जिसका रकबा 1 बीघा
10 बिस्वा था, के परिवर्तित नम्बर में
रकबा 0.38 हैक्टयर होना चाहिये था,
के स्थान पर मात्र 0.29 हैक्टयर
बनाये गये। जिससे उसका रकबा 0.09
हैक्टयर कम किया गया। इसी प्रकार
खसरा नम्बर 51 जिसका रकबा 2 बीघा
6 बिस्वा था का कुल रकबा 0.58 हैक्टयर
बनता था किन्तु परिवर्तित खसरा
नम्बर 73 से 76 का रकबा 0.50 हैक्टयर
कर दिया गया। जिससे 18 ऐयर भूमि
कम दर्ज की गई है, जिससे अधिनस्थ
न्यायालय द्वारा वादी/प्रार्थी के हक
में अस्थाई निषेधाज्ञा सही तौर पर
जारी की गई है। अतः प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

में जारी हुए

एवं अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। रिकार्ड के अवलोकन से प्रथमदृष्टया यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वर्तमान ख.न. 23 एवं 73 से 76 मे जो रकबा अंकित था का बेचान अप्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थी/अपीलान्ट को किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनको जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना इस स्तर पर उचीत प्रतीत नही होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/11/2017 निरस्त किया जाता है। चूंकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश एकपक्षीय दिया गया था। अतः अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा विचाराधीन है। अतः अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण। अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर दोनो पक्षो की बहस सुनकर उसका विधिवत निस्तारण करे। दोनो पक्षो को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे नियत आगामी पेशी दिनांक 16/3/18 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। ह.

034
(5)